

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक- एफ.1(2)(1)स्था/आईसीडीएस/2021/5726

जयपुर, दिनांक
15/01/2023

आदेश

निम्नलिखित महिला पर्यवेक्षक का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टि से उनके नाम के सम्मुख स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है -

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/ सुश्री)	कहाँ से (परि. कार्य)	कहाँ को (परि. कार्य)	विशेष विवरण
1	बबीता नावरिया	सांभर (जयपुर) से रेवदर (सिराही) स्थानान्तरणाधीन	सांभर (जयपुर)	रिक्त पद पर

कार्मिक उक्त आदेश को कार्यमुक्ति आदेश मानते हुए नवपदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज जे अधीनस्थ महिला एवं बाल विकास विभाग का स्वतंत्र प्रभार के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(समावतार मीना)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं एवं
पंचायती राज (आईसीडीएस) विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ.1(2)(1)स्था/आईसीडीएस/2021/5727-37

जयपुर, दिनांक
15/01/2023

प्रतिष्ठित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- (1) विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज जे अधीनस्थ महिला एवं बाल विकास विभाग का स्वतंत्र प्रभार राज. जयपुर।
- (2) निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पंचायती राज (महिला एवं बाल विकास) विभाग राज0, जयपुर।
- (3) निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं एवं पंचायती राज (आईसीडीएस) विभाग राज. जयपुर।
- (4) एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- (5) जिला कलक्टर जयपुर/सिराही।
- (6) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर/सिराही।
- (7) उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर/सिराही।
- (8) बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, रेवदर (सिराही)/सांभर (जयपुर)।
- (9) श्रीमती बबीता नावरिया, महिला पर्यवेक्षक सांभर (जयपुर)।
- (10) क्विटेड पत्रावली
- (11) पत्रावली

(सही)म. मीना

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर